

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं
पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा न०- 31/2020
जी.सी.एम.एस. नं. 2020/00060

दर्ज दिनांक:- 03.02.2020
निर्णय दिनांक : 08.02.2022

नरेन्द्र कुमार

बनाम

शंकरिया वगै०

दावा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

अंतिम निर्णय


उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.08.2021 को प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया कि ग्राम ककराना पटवार हल्का ककराना के भूमि ख.नं. 725 रकबा 4.62 है० में वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 2, 4, 6 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढा गौड़जी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें।

प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.08.2021 की पालना में तहसीलदार गुढा गौड़जी से पत्र क्रमांक:- भू०अ०/2022/192 दिनांक 01.02.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्षकारान की बहस श्रवण की गई। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान सहमत है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.02.2022 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.02.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं
अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं०- 31/2020
जी.सी.एम.एस. नं. 2020/00060

दर्ज दिनांक:- 03.02.2020
निर्णय दिनांक : 08.02.2022

नरेन्द्र कुमार

बनाम

शंकरिया वगै०

दावा विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी उदयपुरवाटी ब हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई
वल्द ...-...मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि :-


वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.02.2022 को अंतिम डिक्री
किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.02.2022 मय नजरी नक्शा अंतिम
निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार
उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन
प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज..-.....निल.....

..... मुबलिक -.....निल..... दाबन.-.....निल.....

.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह -.....निल.....

फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक -.....निल.....

. का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08
माह 02 सन 2022 को जारी की गई।


(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी